POLITICAL SCIENCE DEP
B.A. Part-I (Hons), Paper-II

Dr. HUSNA ARA
Asst. Professor
Dr. L.K.V.D. College, Tajpur
Samastipur

कौटिल्य का षड्गुण सिद्धांत

कौटिल्य ने वैदेशिक संबंधों के संचालन को स्पष्ट करने हेतु षड्गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के सप्तम अधिकरण में षड्गुण सिद्धांत का विवेचन किया है। यह सिद्धांत विदेश मामलों में एक राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों के लिए मार्गदर्शन करता है। इनके आधार पर राज्य अपने हितों को प्राप्त कर सकता है। षड्गुण सिद्धांत राज्यों के बीच हित संघर्ष और साम्राज्य-विस्तार की अवधारणा पर आधारित है।

कौटिल्य के षड्गुण सिद्धांत के अंतर्गत एक राज्य द्वारा अपने भूक्षेत्र की रक्षा और उसके विस्तार हेतु वैदेशिक मामलों में 6 प्रकार के नीतियों के अनुसरण की चर्चा है। षड्गुण सिद्धांत की छः नीतियों का विवरण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है—

1. संधि

कौटिल्य के अनुसार वैदेशिक संबंधों के संचालन में एक कमजोर राज्य को शक्तिशाली राज्यों से संधि कर लेनी चाहिए ताकि वह

Scanned with CamScanner

कुछ समय के लिए युद्ध से दूर रहकर इतनी शक्ति जुटा ले जो शत्रु राज्य को पराजित करने के लिए पर्याप्त हो। इस संधि का उद्देश्य अपने शत्रु राज्य की शक्ति को नष्ट करना और अपनी शक्ति में वृद्धि करना होना चाहिए। कौटिल्य ने ऐसी संधि के तीन प्रकार बताए हैं- (i) योग्यपतनत (ii) कोषापतनत (iii) देशोपतनत।

(2) विग्रह -

कौटिल्य के अनुसार जब कोई राजा यह समझे कि शत्रु राज्य के आक्रमण का निवारण वह सफलता-पूर्वक कर सकता है, तो उसे संधि की नीति को त्याग कर विग्रह की नीति का अनुसरण करना चाहिए। विग्रह का अर्थ युद्ध होता है। विग्रह नीति का उद्देश्य सिर्फ शत्रु राज्य पर आक्रमण की नीति अपनाना ही नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य राज्य के हितों की रक्षा करना भी है।

(3) आसन -

राज्य द्वारा आसन की नीति उन परिस्थितियों में अपनाया जाता है जबकि उसके तथा शत्रु राज्य के बीच शक्ति संतुलन में साम्य होता है। यह तटस्थता की नीति है।

Dr. Husna Ara
Asst. Professor.

Scanned with CamScanner